

6/1/2015

पत्रावली राज राजस्व लोक न्यायालय
अटल सेवा सेठ गुप्ता पाठक पर
पेश हुयी नारी गवानी संकर आदि

गवानी गुप्ता

प्रतिनारीकरण की शर्त के अन्तर्गत
अभिप्राय उपस्थित। दोनों पक्षों को सुन
गया। पत्रावली एवं उक्त पर उपलब्ध
दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
लोक न्यायालय नोटिस दि 26-6-83
नारी को सूचित किया गया दि 17/1
9 किस्का व 88 रकबा 2 कीछा 10
किस्का कुल कित 2 कुल रकबा 2 कीछा
9 किस्का का आवंटन हुआ है जिसका
रकबा नलानी को दि 10-8-83 को
दिया गया है मुद्रांकित निलान क्षेत्र
उक्त नाराजीयल से दाल 108/114
रकबा 0-29, 213 रकबा 0-35, 214
रकबा 0-40 वाले गुप्त कोटरी कायम
हुये है तदन्तर्गत अभिप्राय ने अपने
पत्र क्रमांक TRM/खाले./ 2013-14/ 359
दि 10-9-2014 से आवगत कराया
है कि दाल रकबा 213 व 214 रकबा

उप सहाय अधिकारी
उनियारा जिला टांक

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पायगा

उनवान

भवानीशंकर पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी सैदरी गुजरान तहसील उनियारा जिला टोंक
- वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक


-प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 25 वर्ष 2014

वादी की ओर से श्री भवानीशंकर प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6.7.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी को आराजी ख0न0 214 रकबा 0.40 व ख0न0 213 रकबा 0.35 में से 0.22 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 हैक्टर वाके ग्राम कोटडी तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 07 सन् 2015 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

0-70 हेतु प्रार्थना का कवचा दिनांक 10/8/83
 का तत्कालीन पटवारी द्वारा कवचा संशोधन
 किया था। वर्तमान में सांख्यिक क्रमांक 86 के
 नये क्रमांक 213 व 214 सिवापत्रक में
 दर्ज हो गयी का क्रमांक 213 व 214 के
 सिवापत्रक (नियंत्रण) दर्ज हो गयी है।
 द्वारा प्रबंधित प्रार्थना का सिवापत्रक शीघ्र
 जमा करवा लेने वाली का प्रबंधित प्रार्थना
 पर कवचा कवचा होने से स्थायीतरी
 प्राप्त करने का आदेश जारी हो चुका है।
 अतः राज्याध्यक्ष लोक प्रशासन को जानकारी के
 लिए रखने हेतु यह सूचना जारी किया
 जाता है।

वादी को भद्राजी स्वका 214 स्वका
 0-40 व स्वका 213 स्वका 0-35 से
 से 0-22 कुल क्रिया 2 कुल स्वका
 0-62 हेतु वाके गुण कोटरी लक्ष्मी उलिया
 का स्वकादर कवचादर घोषित किया जाता है।
 लक्ष्मी लक्ष्मी उलिया को इसी अनुसूची राजस्व
 रेकार्ड को सुरक्षित करने के क्रमसे लिखे जाते
 हैं। पत्रा लिखी जाती है। पत्रादर केवलधुप
 दोहरा तमक के रूप में तथा पत्रादर काहित
 हो।
 (क)

उप खण्ड अधिकारी
 अनियारा जिला टॉक